झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 49 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED

अपीलकर्त्ता श्रीमती बिंदिया देवी
ग्रा० + पो० – कोपे, प्र० - मनिका
जिला - लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0–49 /2023

आज दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–05 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती बिंदिया देवी, ग्राम+पंचायत–कोपे, प्रखण्ड मनिका, जिला–लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि माह मई, 2022 से वर्ष 2023 में अब तक का उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने लिखित शिकायत में इस आशय का उल्लेख किया है कि डीलर उन्हें कहता है कि उनका हरा कार्ड है और आगे से राशन नहीं आ रहा है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक–WA/366/2023 दिनांक–05.06.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता द्वारा समर्पित परिवाद–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता का PH राशन कार्ड है एवं डीलर शिकायतकर्ता को गलत जानकारी दे कर राशन का गबन कर रहा है। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि सम्बन्धित डीलर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें एवं जितने दिनों तक शिकायतकर्ता को कम राशन दिया गया है, उतने दिनों का सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को दिनांक–14.08.2023 तक मामले का निष्पादन कर प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया गया।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx51